



## स्वच्छ भारत अभियान

दिनांक 09.11.2017  
स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

**भिलाईनगर/** नगर पालिक निगम, भिलाई के आवास प्रभारी अधिकारी श्री मूर्ति शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजनान्तर्गत नगर निगम भिलाई क्षेत्र के हितग्राहियों द्वारा दुकान आबंटन हेतु 29 अप्रैल 2017 तक निर्धारित प्रपत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न कर 1 हजार रुपये अमानत राशि जमा किया गया है। वे हितग्राही शेष अमानत राशि नेहरू नगर, राधिका नगर, प्रियदर्शिनी नगर, वैशाली नगर, जवाहर नगर एम.आर.-09, मदर टेरेसा नगर, रिसाली, गौतम नगर एवं रामनगर (राजीव नगर) दुकानों का आबंटन हेतु शेष अमानत राशि 9 हजार रुपये तथा घासीदास नगर 20 दुकान, जवाहर नगर कालोनी, कुरुद, दीनदयालपुरम खुर्सीपार, घासीदास नगर 10 दुकान, में दुकान आबंटन हेतु शेष राशि 6 हजार रुपये 15 नवम्बर 2017 तक निगम भिलाई के योजना शाखा में कार्यालयीन समयावधि के भीतर जमा करें। 22 नवम्बर को 12 बजे से निगम के सभागार में लॉटरी द्वारा दुकान आबंटन किया जावेगा।

जनसम्पर्क अधिकारी  
नगर पालिक निगम भिलाई